कार्यालय प्रमुख आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर,
48 , प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

फा.सं.IV(16)06/ST/Misc/Tech/BPL/15-16 330 दिनांक–11.01.2016

व्यापार सूचना कं.02/20015–16–ST
दिनांक–11.01.2016

विषय :– बीज परीक्षण पर दिनांक 01.07.2012 से लगाए जाने वाले सेवाकर पर स्पष्टिकरण बाबत्।

1.1)व्यापार उद्योग एवं अन्य सभी प्रतिष्ठानों का ध्यान बोर्ड के परिपत्र कं 189/8 / 2015 सेवाकर के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है– जो कि वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

1.2)बोर्ड की जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ क्षेत्रीय निर्माण इस बात को मानते है कि बीज परीक्षण से संबंधित सभी गतिविधियाँ सेवाकर योग्य होती है और केवल वास्तविक परीक्षण से जुड़ी हुई गतिविधि ही निषेधात्मक सूची से छूटी हुई है।

2.1) मामले की जाँच–पड़ताल की गई। इस संबंध में, वित्त अधिनियम 1994 के अनुभाग 66(डी) के खण्ड 'डी' के अनुसार निषेधात्मक सूची इस प्रकार है:–

''(घ)'' कृषि अथवा कृषि उत्पादन से संबंधित सेवाओं के रूप में।
(i) किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए कृषि प्रचालन (संचालन) जैसे खेती, फसल की कटाई, छटाई, फसल संरक्षण अथवा परीक्षण।

2.2) ''कृषि'' शब्द की अनुभाग 65 खंड(3) के अन्तर्गत यह परिभाषा है :–

(3) ''कृषि'' का अर्थ है पेड़ पौधों की खेती एवं सभी प्रकार के जीव एवं पशु पालन जिसमें भोजन, रेशा, ईधन, कच्चे माल, घोडा पालन अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

2.3) ''कृषि उत्पादन''शब्द की अनुभाग 65बी खंड (5) के अंतर्गत यह परिभाषा है:–

(5) ''कृषि उत्पादन'' का अर्थ है कृषि का कोई भी उत्पादन जिसमें या तो आगे कोई प्रसंस्कृण न किया गया हो या फिर कृषक अथवा उत्पादक द्वारा इस प्रकार से प्रसंस्कृण किया गया हो कि उत्पाद कीं अनवार्य विशेषताओं में बदलाव न लाते हुए उसे प्राथमिक बाजार में बेचे जाने योग्य रखा जाए।

2.4) इसमें कोई संशय नहीं कि बीज कृषि उत्पादन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। कृषि प्रचालन के द्वारा कृषि से जुड़ी हुई समस्त सेवाएँ जो कि कृषि उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हो और जिसके अंतर्गत परीक्षण भी आता है।

इस संबंध में जो भी नियम अथवा अधिनियम बने हैं उनके तहत परीक्षण और प्रमाणीकरण किया जा सकता हे। प्रमाणीकरण और अन्य आनुषंगिक गतिविधियों की गैर–मौजूदगी में परीक्षण नहीं किया जा सकता। परीक्षण यादुच्छिक नहीं हो सकता, उसके लिए किसी को टेस्टिंग के लिए पंजीयन करवाना होता है। यदि प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होता और बीज नत्थी किए हुए नहीं होते, तो वह परीक्षण असंगत माना जाता है। इस प्रकार से समस्त प्रक्रियाएँ एक सामासिक प्रक्रिया का भाग होती है और परीक्षण से पृथक नहीं की जा सकती।

2.5) वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V में ''कृषि प्रचालन'' की परिभाषा नहीं दी गई है और इस प्रकार के प्रचालनों की एक सम्मिलित एवं सांकेतिक सूची दि गई है। इस प्रकार परिभाषा यह है कि ''कृषि प्रचालनों का सीधा संबंध किसी भी प्रकार के कृषि उत्पाद के उत्पादन से होगा जैसे खेती, फसल की कटाई, छंटाई, फसल संरक्षण अथवा परीक्षण।'' इस प्रकार छूट विर्निदिष्ट प्रचालनों तक सीमित नहीं होती है। कृषि प्राचालनों के परीक्षण में से बीज शब्द हटा दिया गया था ताकि निषेधात्मक सूची में प्रवेश की परिधि को बड़ा किया जा सके और उन सभी प्रकार के परीक्षणों को कृषि प्रचालनों की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित किया जाए जिनका कृषि उत्पादन से सीधा संबंध है और उनकी परिधि बीज तक ही सिमित नहीं है।

3.1) इस बात का प्रत्याह्वान किया जा सकता है कि निषेधात्मक सूची के समावेशन से पहले अधिसूचित केन्द्र/राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं/ अभिकरणों की सेवाएं (तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण और तकनीकी निरीक्षण तथा बीज प्रमाण–पत्र) सेवाकर से छुट प्राप्त किए हुए थी (अधिसूचना क्रमांक 10/2010–सेवाकर)। दिनांक 01.07.2012 को जब निषेधात्मक सूची लागू हुई तब इस अधिसूचना का अन्य अधिसूचना (अधिसूचना क्रं. 34/2012–सेवाकर, दिनांक 20.06.2012) के द्वारा विखंडन हो गया। उपरोक्त अधिसूचना के खंडन के पीछे यह आशय नहीं था कि उक्त छूट को वापिस ले लिया जाए अपितु उस छूट को कहीं और सम्मिलित कर लिया जाए।

निषेधात्मक सूची में दिनांक 01.07.2012 तक की संबंधित प्रविष्टि इस प्रकार है :–

(घ) कृषि अथवा कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई सेवाएं।

(i) किसी भी प्रकार के कृषि उत्पाद के उत्पादन से सीधे तौर पर संबंधित कृषि प्रचालन जैसे खेती, फसल की कटाई, छटाई, फसल संरक्षण अथवा बीज परीक्षण;

3.2) तत्पश्चात, 2013–14 के अनुवर्ती बजट में शब्द ''बीज'' जो कि ''बीज परीक्षण'' में पूर्वयोजनित था को दिनांक 10.05.2013 को विलोपित कर दिया गया। संयुक्त सचिव (कर अनुसंधान इकाई) ने बजट क्रमांक 334/3/2013–टी.आर.यू. नई दिल्ली दिनांक फरवरी 28, 2012 के द्वारा आशय का स्पष्टीकरण दिया, पत्र के पैरा 1(iii) में कहा गया है कि शब्द ''बीज'' को हटाकर निषेधात्मक सूचित प्रविष्टि के अनुभाग 66डी के खण्ड (डी) के उपखण्ड (i) को रूपान्तरित किया गया है। इस प्रकार से ''कृषि'' अथवा ''कृषि उत्पादन'' से संबंधित सभी अन्य परीक्षण को लाभ प्राप्त होगा।

39

4. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि समस्त परीक्षण एवं परीक्षण से जुड़ी आनुषांगिक गतिविधियाँ जैसे–बीज प्रमाणीकरण, तकनीकी निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण, बीज परीक्षण के समय बीज नत्थी करना सभी ''परीक्षण'' के अर्थ में समाहित है जो कि वित्त अधिनियम, 1994 के खण्ड 66 (डी)के उपखण्ड (i) में उल्लेखित है। इसलिए इस प्रकार की सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1994 के खण्ड 66बी के तहत सेवाकर योग्य नहीं माना जायेगा।

5. समस्त व्यापार संघ एवं वाणिज्य मंडल और औद्योगिक ईकाईयां तथा क्षेत्रीय सलाकार समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि अपने संघटक सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को तत्काल रूप से व्यापार आदेश की अंर्तवस्तु की जानकारी प्रदान करे। परिपत्र के परिचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से इस कार्यालय को अवगत करावें।

6. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में जारी व्यापार सूचना ही मान्य होगी।

कार्यालय प्रमुख आयुक्त
के. उ. एवं सेवा कर, भोपाल
10 FEB 2016
हस्ताक्षर

08.II.2016.

(हेमंत ए. भट)
प्रमुख आयुक्त

ADC (Tech)

प्रतिः–
1. वेब मास्टर, कार्यालय मुख्य आयुक्त, भोपाल जोन, आवश्यक कार्यवाहीं हेतु।
2. वेब मास्टर, कार्यालय प्रमुख आयुक्त, भोपाल जोन, आवश्यक कार्यवाहीं हेतु।

10/2

(एम.के. यादव)
उप आयुक्त(तक.)

Handover copy of this TN to Sh Jayant, Inspr for uploading on website.

11/2

DC (Tech)

S (Tech)
for n/a pl
11/2/16